

गौ. अ. 2021

भूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)  
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०२०२०

उपवान

मुकदमा नम्बर मुकदमा नम्बर बनाम गाभत्री बादि

वाधा बाधक :- 588/2021

मुकदमा नम्बर :- 338/2021

निर्णय दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से वकील पुष्पा चौरा की व प्रतिवादी सं० 152 की ओर से वकील मुकेश कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के सक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोहो मेरवा के खाता सं० 104/31 के खतर सं० 779 की फ. 2280 के वाराना खातेदारी वाद मुक्ति स्क चन्डू लाल के नाम से राजस रिमाड में दफ्त है में से सं० चन्डू लाल का नाम कलमपन निमा जागर वादी मुकेश कुमार को 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी से गाभत्री को 1/3 हिस्सा के खातदार आइलाकार को जित हिस्से जात है न्यून प्रतिवादी सं० 2 से अपना सम्पत्ति एक व. हिस्सा वादी के पास में टमाग कूर मुनि कर लिमा है इसीलिए टमाग निमा जमे हिस्से पर पंजीकृत मुलक एवं लगान्य ड्यूटी अदा कूरने व मोद लक्ष्मी मुनि वध के रद्द होला रद्दगुल होने के उपरान्त ही राजस रिमाड के ठामला परामु निमा जागर राजागामा का डिग्री का टमाग पढा जाय।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
(विश्व प्रभात)  
भादरा जिला हुनमानगढ़  
प्र.गा. के संग अ.-2021  
कैम्प 21/11/21